भाग–II

भाग–II : बोलीदाताओं हेतु निर्देश, निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया एवं निविदा-पत्र (MP e-Tender Portal के माध्यम से सम्पत्तियों के व्ययन/आवंटन हेतु)

अध्याय–1

सामान्य निर्देश

1.1 उद्देश्य

यह अध्याय ऑनलाइन निविदा सह ई-नीलामी (Tender-cum-eAuction) प्रक्रिया में भाग लेने वाले इच्छुक बोलीदाताओं को निविदा प्रस्तुत करने, पात्रता परीक्षण तथा तत्पश्चात आयोजित की जाने वाली लाइव ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व आवश्यक सामान्य निर्देश उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
निविदा प्रस्तुत करने की विस्तृत प्रक्रिया, दस्तावेजों का अपलोड, निविदा-पत्र, प्रारम्भिक वित्तीय प्रस्ताव, लाइव ई-नीलामी (Live e-Auction) तथा अन्य संबंधित प्रावधान इस भाग के आगामी अध्यायों में वर्णित हैं।

1.2 ई-निविदा एवं ई-नीलामी प्रणाली

(1) सम्पूर्ण निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया केवल मध्यप्रदेश शासन के अधिकृत ई-निविदा पोर्टल अथवा प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित अन्य अधिकृत ई-निविदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन संचालित की जाएगी।
(2) निविदा से संबंधित समस्त कार्यवाही, यथा पंजीयन, निविदा प्रस्तुत करना, दस्तावेज अपलोड करना, ऑनलाइन भुगतान (जहाँ लागू हो), प्रारम्भिक वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत करना तथा पात्र निविदादाताओं के मध्य आयोजित लाइव ई-नीलामी में भाग लेना, उक्त पोर्टल के माध्यम से ही सम्पन्न किया जाएगा।

1.3 बोलीदाता की तैयारी

निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व प्रत्येक इच्छुक बोलीदाता यह सुनिश्चित करेगा कि—
(क) उसने संबंधित ई-निविदा पोर्टल पर आवश्यक पंजीयन (Registration), उपयोगकर्ता पहचान (User ID) एवं अन्य आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण कर ली हैं;
(ख) आवश्यक दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध हैं;
(ग) निर्धारित निविदा शुल्क (यदि लागू हो) एवं निविदा प्रतिभूति (जहाँ लागू हो) के ऑनलाइन भुगतान हेतु आवश्यक व्यवस्था उपलब्ध है;
(घ) पोर्टल द्वारा निर्धारित तकनीकी आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है;
(ङ) यदि तकनीकी परीक्षण में पात्र पाया जाता है, तो लाइव ई-नीलामी में भाग लेने हेतु आवश्यक तकनीकी व्यवस्था, इंटरनेट सुविधा तथा पोर्टल उपयोग संबंधी आवश्यकताओं का भी अनुपालन किया गया है।

1.4 समय-सीमा का पालन

बोलीदाता यह सुनिश्चित करेगा कि निविदा निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पूर्व पूर्ण रूप से ऑनलाइन प्रस्तुत कर दी जाए।
जहाँ लागू हो, पात्र घोषित किए जाने के पश्चात लाइव ई-नीलामी में निर्धारित तिथि एवं समय पर भाग लेना भी बोलीदाता की जिम्मेदारी होगी।

अंतिम समय में उत्पन्न तकनीकी अथवा अन्य कारणों से निविदा प्रस्तुत न हो पाने अथवा ई-नीलामी में भाग न ले पाने की स्थिति में उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी।

1.5 तकनीकी उत्तरदायित्व

प्राधिकरण ई-निविदा पोर्टल के अतिरिक्त बोलीदाता के कम्प्यूटर, इंटरनेट कनेक्टिविटी, विद्युत आपूर्ति, ब्राउज़र, डिजिटल हस्ताक्षर, लाइव ई-नीलामी के दौरान प्रयुक्त स्थानीय तकनीकी संसाधनों अथवा अन्य तकनीकी व्यवधानों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

1.6 आगामी प्रक्रिया

निविदा प्रस्तुत करने की विस्तृत प्रक्रिया, ई-निविदा पोर्टल पर अपनाई जाने वाली चरणबद्ध कार्यवाही, आवश्यक दस्तावेज, निविदा-पत्र, प्रारम्भिक वित्तीय प्रस्ताव, पात्र निविदादाताओं हेतु लाइव ई-नीलामी की प्रक्रिया तथा अन्य प्रक्रियात्मक प्रावधान इस भाग के आगामी अध्यायों में वर्णित हैं.

आवेदक के हस्ताक्षर ....

अध्याय – 2

निविदा सह ई-नीलामी हेतु पूर्वापेक्षाएँ

2.1 उद्देश्य

इस अध्याय का उद्देश्य **ऑनलाइन निविदा सह ई-नीलामी (Tender-cum-eAuction)** प्रक्रिया में भाग लेने वाले इच्छुक निविदादाताओं हेतु आवश्यक प्रशासनिक, तकनीकी एवं वैधानिक पूर्वापेक्षाओं का निर्धारण करना है। प्रत्येक निविदादाता यह सुनिश्चित करेगा कि निविदा प्रस्तुत करने तथा, जहाँ लागू हो, लाइव ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व इस अध्याय में वर्णित समस्त आवश्यकताओं का अनुपालन कर लिया गया है।

2.2 ई-निविदा पोर्टल पर पंजीयन

(1) प्रत्येक इच्छुक निविदादाता के लिए **मध्यप्रदेश शासन के अधिकृत ई-निविदा पोर्टल (https://www.mptenders.gov.in) (जिसे आगे "ई-निविदा पोर्टल" कहा जाएगा)** पर पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।

(2) निविदादाता द्वारा ई-निविदा पोर्टल पर निर्धारित समस्त पंजीयन औपचारिकताओं का पालन किया जाएगा तथा प्राप्त User ID एवं Password का सुरक्षित संरक्षण किया जाएगा।

(3) User ID, Password अथवा पोर्टल खाते के अनधिकृत उपयोग अथवा दुरुपयोग के लिए प्राधिकरण उत्तरदायी नहीं होगा।

2.3 डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (Digital Signature Certificate)

(1) प्रत्येक निविदा केवल वैध **Class-III Digital Signature Certificate (DSC)** के माध्यम से ही प्रस्तुत की जाएगी।

(2) उक्त डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र भारत सरकार द्वारा अधिकृत **Licensed Certifying Authority** से जारी होना चाहिए।

(3) निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय तक डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र वैध होना आवश्यक होगा।

(4) ई-निविदा पोर्टल पर डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से प्रस्तुत निविदा एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अधीन विधिसम्मत माने जाएंगे।

2.4 अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

(1) यदि निविदा किसी कंपनी, साझेदारी फर्म, सीमित दायित्व साझेदारी (LLP), सहकारी संस्था, सोसायटी, ट्रस्ट अथवा अन्य विधिक निकाय द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो निविदा केवल उसके विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रस्तुत की जाएगी।

(2) जिस व्यक्ति के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र का उपयोग कर ई-निविदा पोर्टल पर निविदा प्रस्तुत की जाएगी, वही उस निविदा का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता माना जाएगा।

(3) अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा ई-निविदा पोर्टल पर प्रस्तुत समस्त विवरण, दस्तावेज, घोषणाएँ, प्रारम्भिक वित्तीय प्रस्ताव तथा, जहाँ लागू हो, ई-नीलामी के दौरान प्रस्तुत अंतिम वैध बोली (Final Valid Auction Bid) संबंधित संस्था पर पूर्णतः बाध्यकारी होंगे।

आवेदक के हस्ताक्षर ....

2.5 अधिकार-पत्र (Authorisation)

(1) साझेदारी फर्म की ओर से निविदा प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में सभी भागीदारों द्वारा विधिवत निष्पादित अधिकार-पत्र अथवा साझेदारी अनुबंध के अनुसार अधिकृत करने वाला दस्तावेज प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) कंपनी की ओर से निविदा प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में Board Resolution, Power of Attorney अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अधिकार-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) LLP, ट्रस्ट, सोसायटी अथवा अन्य विधिक निकाय की स्थिति में उनके गठन संबंधी अधिनियम अथवा उपविधियों के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अधिकार-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

(4) उपर्युक्त अधिकार-पत्र इस निविदा दस्तावेज में निर्धारित प्रारूप अथवा अन्य विधिसम्मत प्रारूप में होना चाहिए।

2.6 अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता में परिवर्तन

(1) यदि निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता अथवा उसके डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र में परिवर्तन किया जाता है, तो निविदादाता द्वारा आवश्यक संशोधन ई-निविदा पोर्टल एवं संबंधित प्रमाणन प्राधिकारी के अभिलेखों में समय पर कराया जाएगा।

(2) जहाँ आवश्यक हो, ऐसे परिवर्तन की सूचना प्राधिकरण को भी प्रदान की जाएगी।

(3) इस संबंध में किसी त्रुटि, विलंब अथवा विवाद की समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

2.7 तकनीकी आवश्यकताएँ

(1) निविदादाता यह सुनिश्चित करेगा कि उसके पास ई-निविदा पोर्टल पर निविदा प्रस्तुत करने तथा, जहाँ लागू हो, लाइव ई-नीलामी में भाग लेने हेतु आवश्यक—

• कम्प्यूटर प्रणाली
• स्थिर इंटरनेट कनेक्टिविटी
• उपयुक्त वेब ब्राउज़र
• डिजिटल हस्ताक्षर उपयोगिता (DSC Utility)
• आवश्यक सॉफ्टवेयर
• तथा पोर्टल द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य तकनीकी संसाधन

उपलब्ध हों।

(2) ई-निविदा पोर्टल पर प्रकाशित तकनीकी दिशा-निर्देशों का पालन करना निविदादाता की जिम्मेदारी होगी।

2.8 तकनीकी सहायता

(1) ई-निविदा पोर्टल के संचालन, पंजीयन, डिजिटल हस्ताक्षर, ऑनलाइन निविदा प्रस्तुत करने अथवा लाइव ई-नीलामी में भाग लेने संबंधी तकनीकी सहायता हेतु निविदादाता ई-निविदा पोर्टल पर उपलब्ध Help Desk अथवा Toll-Free सहायता सेवाओं का उपयोग कर सकेगा।

आवेदक के हस्ताक्षर ....

(2) प्राधिकरण केवल निविदा संबंधी प्रशासनिक स्पष्टीकरण प्रदान करेगा। ई-निविदा पोर्टल की तकनीकी समस्याओं, डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग अथवा इंटरनेट संबंधी कठिनाइयों के लिए प्राधिकरण उत्तरदायी नहीं होगा।

2.9 निविदादाता की जिम्मेदारियाँ

प्रत्येक निविदादाता यह सुनिश्चित करेगा कि—

(क) वह ई-निविदा पोर्टल पर विधिवत पंजीकृत है;

(ख) उसका डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र वैध एवं कार्यशील है;

(ग) निविदा प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति विधिवत अधिकृत है;

(घ) सभी आवश्यक अधिकार-पत्र उपलब्ध एवं वैध हैं;

(ङ) ई-निविदा पोर्टल पर निविदा प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक तकनीकी संसाधन उपलब्ध हैं;

(च) ई-निविदा पोर्टल पर प्रकाशित निर्देशों, अद्यतनों एवं तकनीकी आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है।

(छ) जहाँ लागू हो, पात्र घोषित किए जाने पर ई-नीलामी में भाग लेने हेतु आवश्यक तकनीकी व्यवस्था एवं पोर्टल द्वारा निर्धारित निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

2.10 स्पष्टीकरण

इस अध्याय में वर्णित प्रावधान केवल ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु आवश्यक पूर्वापेक्षाओं से संबंधित हैं। निविदा प्रस्तुत करने की चरणबद्ध प्रक्रिया, पैकेट प्रणाली, दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया, प्रारम्भिक वित्तीय प्रस्ताव, लाइव ई-नीलामी, निविदा शुल्क (यदि लागू हो), Earnest Money Deposit (EMD), निविदा की वैधता तथा अन्य प्रक्रियात्मक प्रावधान इस भाग के आगामी अध्यायों में वर्णित होंगे।

आवेदक के हस्ताक्षर ....

अध्याय – 3

ऑनलाइन निविदा प्रस्तुत करने एवं ई-नीलामी की प्रक्रिया

3.1 उद्देश्य

इस अध्याय का उद्देश्य ई-निविदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन निविदा प्रस्तुत करने, प्रारम्भिक वित्तीय प्रस्ताव प्राप्त करने तथा पात्र निविदादाताओं के मध्य आयोजित लाइव ई-नीलामी (Live e-Auction) की चरणबद्ध प्रक्रिया का निर्धारण करना है। प्रत्येक निविदादाता द्वारा इस अध्याय में वर्णित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

3.2 ई-निविदा पोर्टल पर लॉग-इन

(1) निविदादाता ई-निविदा पोर्टल पर अपने पंजीकृत User ID एवं Password के माध्यम से लॉग-इन करेगा।

(2) लॉग-इन उपरांत संबंधित निविदा का चयन कर निविदा प्रक्रिया प्रारंभ करेगा।

3.3 निविदा दस्तावेजों का अवलोकन

(1) निविदादाता निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व ई-निविदा पोर्टल पर उपलब्ध निविदा दस्तावेजों, परिशिष्टों, संशोधन (Corrigendum), स्पष्टीकरण एवं अन्य अभिलेखों का अवलोकन करेगा।

(2) निविदा प्रस्तुत किया जाना इस बात का प्रमाण माना जाएगा कि निविदादाता ने उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अध्ययन कर लिया है।

3.4 त्रि-पैकेट प्रणाली

इस निविदा में ऑनलाइन निविदा **त्रि-पैकेट प्रणाली (Three Packet System)** के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी।

निम्नलिखित पैकेट पृथक-पृथक अपलोड किए जाएंगे—

Packet	**विवरण**
Packet-1	निविदा प्रतिभूति (EMD) एवं अन्य अपेक्षित शुल्क (जहाँ लागू हो) के ऑनलाइन भुगतान की रसीद अपलोड की जाएगी।
Packet-2	विधिवत भरा हुआ निविदा-पत्र तथा उसमें विनिर्दिष्ट समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की स्व-हस्ताक्षरित प्रतियाँ अपलोड की जाएँगी।
Packet-3	सम्पत्ति हेतु प्रारम्भिक वित्तीय प्रस्ताव (Initial Financial Bid) ई-निविदा पोर्टल पर उपलब्ध Financial Bid Format (₹ प्रति वर्गमीटर अथवा जहाँ लागू हो अन्य निर्धारित इकाई में) में प्रस्तुत किया जाएगा। यह प्रारम्भिक वित्तीय प्रस्ताव केवल पात्र निविदादाताओं के मध्य आयोजित लाइव ई-नीलामी (Live e-Auction) हेतु आधार (Base Bid) के रूप में प्रयुक्त होगा। इस Packet में निविदादाता का नाम (Name of Bidder) भी पोर्टल पर निर्धारित स्थान पर अंकित किया जाएगा यदि ई-निविदा पोर्टल की कार्यप्रणाली में अपेक्षित हो।

3.5 दस्तावेज अपलोड करना

(1) प्रत्येक दस्तावेज ई-निविदा पोर्टल पर निर्धारित File Format एवं File Size के अनुसार अपलोड किया जाएगा।

(2) अपलोड किए गए दस्तावेज स्पष्ट, पठनीय एवं पूर्ण होने चाहिए।

(3) अपठनीय अथवा क्षतिग्रस्त (Corrupted) दस्तावेजों की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

3.6 ऑनलाइन विवरण भरना

जहाँ ई-निविदा पोर्टल पर निर्धारित विवरण ऑनलाइन प्रविष्ट करना आवश्यक हो, वहाँ निविदादाता द्वारा सभी विवरण सावधानीपूर्वक एवं सत्य रूप से दर्ज किए जाएंगे।

यदि ऑनलाइन प्रविष्ट विवरण एवं अपलोड किए गए दस्तावेजों में विरोधाभास पाया जाता है, तो उसका परीक्षण इस निविदा दस्तावेज के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

3.7 डिजिटल हस्ताक्षर

ऑनलाइन निविदा का अंतिम प्रस्तुतिकरण केवल अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के वैध Digital Signature Certificate द्वारा किया जाएगा।

डिजिटल हस्ताक्षरित निविदा ही वैध निविदा मानी जाएगी।

3.8 अंतिम प्रस्तुतिकरण (Final Submission)

(1) सभी पैकेट पूर्ण करने के पश्चात निविदादाता "Final Submission" करेगा।

(2) अंतिम प्रस्तुतिकरण के पश्चात पोर्टल द्वारा उत्पन्न Acknowledgement अथवा Bid Reference Number सुरक्षित रखना निविदादाता की जिम्मेदारी होगी।

(3) पात्र पाए जाने पर निविदादाता को पोर्टल पर निर्धारित तिथि एवं समय पर आयोजित लाइव ई-नीलामी में भाग लेना होगा।

3.9 समय-सीमा

निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात ई-निविदा पोर्टल द्वारा कोई नई निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी। लाइव ई-नीलामी केवल पोर्टल द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय पर पात्र निविदादाताओं के मध्य आयोजित की जाएगी।

3.10 निविदादाता की सावधानियाँ

निविदादाता यह सुनिश्चित करेगा कि—

- सभी आवश्यक पैकेट पूर्ण किए गए हैं;
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड किए गए हैं;
    - प्रत्येक दस्तावेज पठनीय है;
    - सभी ऑनलाइन प्रविष्टियाँ सही हैं;
    - प्रारम्भिक वित्तीय प्रस्ताव केवल निर्धारित Packet–3 में प्रस्तुत किया गया है;
    - अंतिम प्रस्तुतिकरण निर्धारित समय के पूर्व किया गया है;

आवेदक के हस्ताक्षर ....

- **जहाँ लागू हो, पात्र घोषित होने पर निर्धारित समय पर लाइव ई-नीलामी में भाग लेने हेतु आवश्यक तकनीकी तैयारी कर ली गई है।**

3.11 पात्र निविदादाताओं हेतु लाइव ई-नीलामी

(1) केवल वे निविदादाता, जिन्हें तकनीकी परीक्षण में पात्र पाया गया हो तथा जिनके प्रारम्भिक वित्तीय प्रस्ताव वैध पाए गए हों, लाइव ई-नीलामी में भाग लेने के पात्र होंगे।

(2) लाइव ई-नीलामी MP e-Tender Portal पर निर्धारित दिन एवं समय पर आयोजित की जाएगी।

(3) ई-नीलामी की प्रारम्भिक बोली (Auction Start Price) पोर्टल द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपलब्ध सर्वोच्च वैध प्रारम्भिक वित्तीय प्रस्ताव अथवा योजना विशेष विवरण में उपबंधित अन्य आधार पर निर्धारित की जाएगी।

(4) ई-नीलामी के दौरान प्रत्येक नई बोली पोर्टल पर निर्धारित न्यूनतम वृद्धि (Bid Increment) के अनुरूप ही स्वीकार की जाएगी।

3.12 ई-नीलामी विशेष शर्तें एवं प्रतिबंध

(1) किसी योग्य बोली लगाने वाले का नीलामी में भाग लेना स्वैच्छिक है। नीलामी में भाग लेना पूरी तरह से बोली लगाने वाले की अपनी मर्जी पर निर्भर करता है। अगर कोई योग्य बोली लगाने वाला नीलामी में भाग लेने का इच्छुक नहीं है, तो टेंडर में उसके द्वारा दी गई कीमत/वित्तीय बोली को ही उसकी अंतिम कीमत/वित्तीय बोली माना जाएगा।

(2) टेक्नो-कमर्शियली योग्य बोलीदाताओं को जिन्हें **Tender implementing authority (TIA)** द्वारा तय किए गए एलिमिनेशन क्राइटेरिया के आधार पर सिस्टम ने उस टेंडर-कम-ऑक्शन में भाग लेने से बाहर नहीं किया है, ई-मेल के ज़रिए ऑक्शन शेड्यूल की सूचना मिलेगी। हालाँकि, बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपडेट रहने और ऑक्शन या उस टेंडर की अन्य ज़रूरतों पर समय पर कार्रवाई करने के लिए नियमित रूप से वेबसाइट/पोर्टल देखते रहें।

(3) **TIA** द्वारा टेंडर-सह-नीलामी के लिए तय किए गए कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार, सिस्टम फ़ॉरवर्ड नीलामी की प्रक्रिया पूरी होने से पहले पोर्टल पर किसी को भी **(H1)** बोली लगाने वाले का नाम, बोलियों की संख्या और भाग लेने वाले बोलीदाताओं के नाम नहीं दिखाएगा।

(4) अगर नीलामी खत्म होने से ठीक पहले "**Auction Elapse Time in minutes"** के दौरान सिस्टम में कोई सही और डिजिटल रूप से साइन की गई बोती (बिड) सफलतापूर्वक दर्ज हो जाती है, तो लाइव नीलामी अपने-आप "**Auto Extensions in minutes"** के हिसाब से बढ़ जाएगी। सर्वर का समय ही आखिरी माना जाएगा और नीलामी खत्म होने के समय (सर्वर के समय के अनुसार) से पहले सर्वर को मिली और दर्ज की गई बोलियों को ही सहीं बोली माना जाएगा। बोली लगाने वाले को स्क्रीन पर दिख रहे नीलामी खत्म होने के समय का पालन करना चाहिए।

(5) नीलामी के दौरान, बोली लगाने वालों को सलाह दी जाती है कि वे नीलामी की स्थिति के बारे में ताज़ा जानकारी पाने के लिए अपने वेबपेज पर "**Refresh"** लिंक पर क्लिक करें। अगर बोली लगाने वाले का कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क/इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, तब भी लाइव नीलामी विंडो वैसी ही रहेगी और बचा हुआ समय चलता रहेगा। डिस्कनेक्शन के समय दूसरे बोली लगाने वालों की लगाई गई बोलियाँ आपकी

स्क्रीन पर नहीं दिखेंगी। हो सकता है कि इस दौरान कोई दूसरा बोली लगाने वाला उस आइटम के लिए **H1** (जैसा भी मामला हो) बन गया हो। इस स्थिति से निपटने के लिए, बोली लगाने वालों को सलाह दी जाती है कि वे अपने वेबपेज को बार-बार रिफ्रेश करने के लिए "**Refresh**" लिंक पर क्लिक करते रहें।

(6) नीलामी के दौरान किसी भी समय, बोली लगाने वाले की ओर से बताई गई आखिरी (नवीनतम) सफल बोली की कीमत को ही मान्य कीमत माना जाएगा।

(7) जो बोली लगाने वाले नीलामी में भाग लेने से बाहर हो जाते हैं, या जो नीलामी के लिए तो योग्य हैं लेकिन नीलामी के दौरान कोई कीमत नहीं बताते हैं, उनके मामले में टेंडर की प्राइस फाइनेंशियल बिड में बताई गई दर को ही अंतिम कीमत माना जाएगा।

(8) अगर कंप्यूटर सिस्टम, बिजली, नेटवर्क, इंटरनेट कनेक्टिविटी में खराबी, काम में देरी या बोली लगाने वाले की तरफ से किसी अन्य कारण से पोर्टल पर तय समय/तारीख के अंदर लाइव नीलामी के दौरान बोली/कोटेशन जमा नहीं हो पाता है, तो इसके लिए पूरी तरह से बोली लगाने वाला ही जिम्मेदार होगा। इसके लिए नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर या संबंधित टेंडर बुलाने वाली अथॉरिटी किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगी।

(9) टेंडर बुलाने वाले अधिकारी के पास ज़रूरत पड़ने पर नीलामी को टालने, रोकने/स्थगित करने, फिर से शुरू करने और उसकी अवधि बढ़ाने का अधिकार है।

(10) हर बोली लगाने वाले की **(H1)** कीमत और टेंडर में शामिल न होने वाले बोली लगाने वाले की बताई गई कीमत के आधार पर, सिस्टम एक तुलनात्मक चार्ट तैयार करेगा और उसी के अनुसार, टेंडर बुलाने वाला अधिकारी आगे की वित्तीय मूल्यांकन प्रक्रिया करेगा।

3.12 अंतिम वैध बोली

(1) ई-नीलामी समाप्ति के समय पोर्टल पर उपलब्ध उच्चतम वैध बोली (Highest Valid Auction Bid) संबंधित बोलीदाता का अंतिम वित्तीय प्रस्ताव (Final Financial Offer) मानी जाएगी।

(2) ऐसी अंतिम वैध बोली इस निविदा दस्तावेज के अधीन आगे की परीक्षण एवं स्वीकृति की प्रक्रिया का आधार होगी।

आवेदक के हस्ताक्षर ....

अध्याय–4

पैकेट–1 : निविदा शुल्क (यदि लागू हो), Earnest Money Deposit (EMD) एवं प्रारंभिक दस्तावेज

4.1 उद्देश्य

इस अध्याय का उद्देश्य ई-निविदा पोर्टल पर प्रस्तुत किए जाने वाले पैकेट–1 की संरचना, उसमें सम्मिलित किए जाने वाले दस्तावेजों तथा ऑनलाइन भुगतान संबंधी प्रक्रिया का निर्धारण करना है। पैकेट–1 के आधार पर निविदादाता की प्रारम्भिक पात्रता का परीक्षण किया जाएगा, जिसके उपरांत ही वह आगे की निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया हेतु विचारणीय होगा।

4.2 पैकेट–1 की अनिवार्यता

(1) प्रत्येक निविदादाता द्वारा ई-निविदा पोर्टल पर पैकेट–1 प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

(2) पैकेट–1 में सम्मिलित दस्तावेजों एवं भुगतान संबंधी विवरण के आधार पर निविदादाता की प्रारंभिक पात्रता का परीक्षण किया जाएगा।

(3) पैकेट–1 के अपूर्ण अथवा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप न होने की स्थिति में निविदा को आगे परीक्षण हेतु स्वीकार नहीं किया जाएगा।

4.3 पैकेट–1 की विषय-वस्तु

पैकेट–1 में सामान्यतः निम्नलिखित सम्मिलित होंगे—

(क) निविदा शुल्क (यदि लागू हो) (Tender Fee) के ऑनलाइन भुगतान का प्रमाण (जहाँ लागू हो);

(ख) Earnest Money Deposit (EMD) के ऑनलाइन भुगतान का प्रमाण;

(ग) अन्य ऐसे प्रारंभिक दस्तावेज, जिनका उल्लेख योजना विशेष (भाग –IV) अथवा Notice Inviting Tender (भाग–I) में किया गया हो।

4.4 निविदा शुल्क (यदि लागू हो)

(1) जहाँ निविदा शुल्क (यदि लागू हो) देय हो, उसका भुगतान केवल ई-निविदा पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा।

(2) निविदा शुल्क (यदि लागू हो) की राशि प्रत्येक निविदा हेतु Notice Inviting Tender (भाग -I) अथवा Scheme Specific Details (भाग –IV) में विनिर्दिष्ट होगी।

(3) निविदा शुल्क (यदि लागू हो) के भुगतान का प्रमाण ई-निविदा पोर्टल पर पैकेट–1 में अपलोड किया जाएगा।

4.5 Earnest Money Deposit (EMD)

(1) Earnest Money Deposit (EMD) का भुगतान केवल ई-निविदा पोर्टल पर उपलब्ध निर्धारित ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा।

(2) EMD की राशि प्रत्येक निविदा हेतु भाग–I अथवा भाग –IV में विनिर्दिष्ट होगी।

(3) EMD भुगतान का प्रमाण पैकेट–1 में अपलोड किया जाएगा।

(4) अन्य किसी माध्यम से किया गया भुगतान स्वीकार्य नहीं होगा, जब तक कि निविदा दस्तावेज में अन्यथा उपबंधित न हो।

आवेदक के हस्ताक्षर ....

4.6 ऑनलाइन भुगतान का माध्यम

ई-निविदा पोर्टल पर उपलब्ध निम्नलिखित अथवा समय-समय पर उपलब्ध अन्य ऑनलाइन माध्यमों से भुगतान किया जा सकेगा—

- नेट बैंकिंग
- डेबिट कार्ड
- क्रेडिट कार्ड
- RTGS / NEFT / अन्य स्वीकृत बैंकिंग माध्यम
- ई-निविदा पोर्टल द्वारा उपलब्ध अन्य ऑनलाइन भुगतान विकल्प

4.7 भुगतान की पुष्टि

(1) निविदादाता यह सुनिश्चित करेगा कि निविदा शुल्क (यदि लागू हो) (जहा लागू हो) एवं EMD का ऑनलाइन भुगतान सफलतापूर्वक पूर्ण हो गया है।

(2) केवल भुगतान प्रारम्भ कर देना पर्याप्त नहीं माना जाएगा।

(3) ई-निविदा पोर्टल पर सफल भुगतान की पुष्टि उपलब्ध होने के पश्चात ही पैकेट–1 पूर्ण माना जाएगा।

4.8 प्रारंभिक दस्तावेज

जहाँ लागू हो, अन्य प्रारंभिक प्रमाण-पत्र, यदि Notice Inviting Tender अथवा Scheme Specific Details में अपेक्षित हों, पैकेट–1 में सम्मिलित किए जा सकते हैं।

4.9 दस्तावेजों का प्रारूप

(1) पैकेट–1 के सभी दस्तावेज ई-निविदा पोर्टल द्वारा निर्धारित File Format एवं File Size में अपलोड किए जाएंगे।

(2) अपलोड किए गए दस्तावेज स्पष्ट, पठनीय एवं पूर्ण होने चाहिए।

4.10 प्रारंभिक परीक्षण

(1) प्राधिकरण पैकेट–1 में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं भुगतान संबंधी विवरण का परीक्षण करेगा।

(2) प्रारंभिक परीक्षण उपरांत ही निविदा को पैकेट–2 के परीक्षण हेतु स्वीकार किया जाएगा।

4.11 स्पष्टीकरण

निविदा शुल्क (यदि लागू हो), Earnest Money Deposit (EMD), उनके समायोजन, वापसी, जप्ती (Forfeiture), छूट तथा अन्य विधिक परिणामों से संबंधित प्रावधान इस निविदा दस्तावेज के भाग–III (ई-नीलामी एवं आवंटन की सामान्य शर्तें) में विनियमित होंगे।

आवेदक के हस्ताक्षर ....

अध्याय – 5

पैकेट–2 : पात्रता दस्तावेज, निविदा-पत्र एवं घोषणाएँ

5.1 उद्देश्य

इस अध्याय का उद्देश्य पैकेट–2 में प्रस्तुत किए जाने वाले पात्रता संबंधी दस्तावेजों, निविदा-पत्र, घोषणाओं तथा अन्य अभिलेखों का निर्धारण करना है।

पैकेट–2 के आधार पर प्राधिकरण निविदादाता की पात्रता, विधिक स्थिति, अधिकृत प्रतिनिधित्व, निविदा दस्तावेजों की स्वीकृति तथा, जहाँ लागू हो, उसे लाइव ई-नीलामी में भाग लेने की पात्रता का परीक्षण करेगा।

5.2 पैकेट–2 की अनिवार्यता

(1) प्रत्येक निविदादाता द्वारा पैकेट–2 निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

(2) पैकेट–2 में केवल वही दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे जिनका उल्लेख इस अध्याय, भाग–I अथवा भाग –IV में किया गया हो।

(3) प्राधिकरण आवश्यक होने पर अतिरिक्त स्पष्टीकरण अथवा दस्तावेज मांग सकता है, यदि इससे निविदा की मूल प्रकृति में परिवर्तन न होता हो।

5.3 पैकेट–2 में सम्मिलित दस्तावेज

सामान्यतः पैकेट–2 में निम्नलिखित दस्तावेज सम्मिलित होंगे—

(क) विधिवत भरा हुआ **निविदा-पत्र (Tender Form)**

(ख) निर्धारित प्रारूप में **शपथ-पत्र (Affidavit)**

(ग) अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का अधिकार-पत्र / Board Resolution / Power of Attorney (जहाँ लागू हो)

(घ) संस्था के गठन संबंधी दस्तावेज (जहाँ लागू हो)

(ङ) आरक्षित श्रेणी का प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)

(च) पहचान एवं पता संबंधी दस्तावेज

(छ) PAN

(ज) GST पंजीयन (जहाँ लागू हो)

(झ) अन्य दस्तावेज, यदि भाग–I अथवा भाग –IV में अपेक्षित हों।

5.4 निविदा-पत्र

(1) प्रत्येक निविदादाता निर्धारित प्रारूप में निविदा-पत्र प्रस्तुत करेगा।

(2) निविदा-पत्र में उल्लिखित समस्त जानकारी पूर्ण, सत्य एवं अद्यतन होना आवश्यक होगा।

(3) निविदा-पत्र अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होगा।

(4) निविदा-पत्र का प्रारूप **प्रपत्र–A** में दिया गया है।

5.5 शपथ-पत्र (Affidavit)

(1) प्रत्येक निविदादाता निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा।

(2) शपथ-पत्र इस भाग के **प्रपत्र–C** में निर्दिष्ट प्रारूप में होगा।

आवेदक के हस्ताक्षर ....

(3) शपथ-पत्र में निविदादाता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों की सत्यता तथा निविदा दस्तावेजों की स्वीकृति की घोषणा की जाएगी।

5.6 अधिकार-पत्र

जहाँ निविदा किसी कंपनी, साझेदारी फर्म, LLP, ट्रस्ट, सोसायटी अथवा अन्य विधिक निकाय की ओर से प्रस्तुत की जाती है, वहाँ अधिकृत प्रतिनिधि के पक्ष में विधिवत जारी अधिकार-पत्र अथवा अन्य सक्षम दस्तावेज प्रस्तुत किया जाएगा।

5.7 आरक्षित श्रेणी संबंधी दस्तावेज

(1) यदि कोई संपत्ति किसी आरक्षित श्रेणी हेतु अधिसूचित है, तो संबंधित श्रेणी का वैध प्रमाण-पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए।

(2) आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु निम्नानुसार सक्षम प्राधिकारी अथवा शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण-पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

अ.क्र.	आरक्षण की श्रेणी	प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी
1	अनुसूचित जाति	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
2	अनुसूचित जाति (महिला)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
3	अनुसूचित जनजाति	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
4	अनुसूचित जनजाति (महिला)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
5	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
6	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
7	प्राधिकरण के कर्मचारियों के लिए	प्रशासकीय अधिकारी इ.वि.प्रा.
8	स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों/लोकतंत्र सेनानियों या उनके जीवित न होने की दशा में उनकी पत्नी/पति के लिए	जिला कलेक्टर / राज्य शासन
9	सेना के अधिकारी/भूतपूर्व सेनाअधिकारी	जिला, सैनिक कल्याण बोर्ड
10	पत्रकार रिपोर्टर के लिए	जन संपर्क विभाग से अधिमान्यता का प्रमाण पत्र
11	दिव्यांगों के लिए	जिला मेडिकल बोर्ड/सिविल सर्जन/मुख्य चिकित्सा अधिकारी
12	सांसद/विधायक के लिए	सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र

(3) आरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्रों की सत्यता का परीक्षण प्राधिकरण किसी भी स्तर पर कर सकेगा।

(4) प्रमाण-पत्र असत्य, अमान्य, निरस्त अथवा कूटरचित पाए जाने पर आवेदन अथवा आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।

5.8 दस्तावेजों की भाषा

(1) दस्तावेज हिंदी अथवा अंग्रेज़ी भाषा में प्रस्तुत किए जाएंगे।

(2) यदि कोई दस्तावेज अन्य भाषा में है, तो उसके साथ हिंदी अथवा अंग्रेज़ी में प्रमाणित अनुवाद प्रस्तुत किया जाएगा।

आवेदक के हस्ताक्षर ....

5.9 दस्तावेजों का प्रारूप

(1) सभी दस्तावेज स्पष्ट, पठनीय एवं पूर्ण होंगे।

(2) दस्तावेज ई-निविदा पोर्टल द्वारा निर्धारित File Format एवं File Size के अनुसार अपलोड किए जाएंगे।

(3) अपठनीय अथवा क्षतिग्रस्त दस्तावेजों का जोखिम निविदादाता का होगा।

5.10 घोषणाएँ

निविदादाता द्वारा निम्नलिखित घोषणाएँ की जाएँगी—

(क) प्रस्तुत समस्त जानकारी सत्य एवं पूर्ण है;

(ख) किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया नहीं गया है;

(गनिविदा दस्तावेज, ई-नीलामी प्रक्रिया तथा उनके समस्त नियमों एवं शर्तों का अध्ययन कर उन्हें बिना किसी शर्त के स्वीकार किया गया है;

(घ) अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता विधिवत अधिकृत है;

(ङ) प्रस्तुत दस्तावेज वास्तविक एवं वैध हैं;

(च) प्राधिकरण द्वारा आवश्यक सत्यापन स्वीकार होगा;

(छ) जहाँ लागू हो, लाइव ई-नीलामी के दौरान प्रस्तुत अंतिम वैध बोली (Final Valid Auction Bid) भी इस निविदा के अधीन निविदादाता का बाध्यकारी वित्तीय प्रस्ताव मानी जाएगी।

5.11 असत्य जानकारी

यदि परीक्षण के दौरान यह पाया जाता है कि—

- प्रस्तुत जानकारी असत्य है;
- महत्वपूर्ण तथ्य छिपाए गए हैं;
- कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं;
- अथवा निविदादाता द्वारा मिथ्या घोषणा की गई है,

तो ऐसी स्थिति में की जाने वाली कार्यवाही **भाग–III (ई-नीलामी एवं आवंटन की सामान्य शर्तें)** के प्रावधानों के अनुसार होगी।

5.12 प्रपत्र

इस निविदा दस्तावेज के अंत में निम्नलिखित प्रपत्र संलग्न हैं—

- **प्रपत्र – A**: आवेदन / निविदा-पत्र (Application / Tender Form)
- **प्रपत्र – B :** प्रारम्भिक वित्तीय प्रस्ताव एवं ई-नीलामी संबंधी घोषणा (Initial Financial Proposal & e-Auction Declaration)
- **प्रपत्र – C:** शपथ-पत्र (Affidavit)
- **प्रपत्र – D:** अधिकार-पत्र / Power of Attorney
- **प्रपत्र – E:** दस्तावेज जाँच सूची (Document Checklist)
- **प्रपत्र –** F: आरक्षण पत्र प्रारूप

आवेदक के हस्ताक्षर ....

अध्याय–6

पैकेट–3 : प्रारम्भिक वित्तीय निविदा एवं ई-नीलामी हेतु पात्रता

6.1 उद्देश्य

इस अध्याय का उद्देश्य ई-निविदा पोर्टल पर प्रस्तुत किए जाने वाले प्रारम्भिक वित्तीय प्रस्ताव (Initial Financial Bid), उसके परीक्षण, ई-नीलामी हेतु पात्र बोलीदाताओं के निर्धारण तथा लाइव ई-नीलामी (Live e-Auction) के लिए आधार मूल्य (Auction Start Price) निर्धारित किए जाने संबंधी सामान्य प्रावधानों का निर्धारण करना है।

6.2 पैकेट–3 की अनिवार्यता

(1) प्रत्येक पात्र निविदादाता द्वारा अपनी वित्तीय निविदा केवल **पैकेट–3** में प्रस्तुत की जाएगी।

(2) वित्तीय प्रस्ताव को किसी अन्य पैकेट अथवा दस्तावेज में प्रकट नहीं किया जाएगा।

(3) यदि वित्तीय प्रस्ताव किसी अन्य पैकेट में भी प्रदर्शित पाया जाता है, तो प्राधिकरण केवल **पैकेट–3** में प्राप्त प्रस्ताव अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा। यदि **पैकेट–3** में वित्तीय प्रस्ताव नहीं प्राप्त होता है तो आवेदक की निविदा अमान्य की जावेगी।

6.3 प्रारम्भिक वित्तीय प्रस्ताव का प्रारूप

(1) प्रारम्भिक वित्तीय निविदा केवल **ई-निविदा पोर्टल पर उपलब्ध निर्धारित Financial Bid Format** प्रस्तुत की जाएगी।

(2) निर्धारित प्रारूप में किसी प्रकार का परिवर्तन, संशोधन अथवा अतिरिक्त शर्त जोड़ना स्वीकार्य नहीं होगा।

6.4 प्रारम्भिक वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

(1) निविदादाता द्वारा प्रत्येक संपत्ति के लिए निर्धारित स्थान पर अपनी बोली राशि अंकित की जाएगी।

(2) जहाँ एक से अधिक संपत्तियों हेतु निविदा आमंत्रित की गई हो, वहाँ प्रत्येक संपत्ति के लिए पृथक वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा, यदि निविदा दस्तावेज में अन्यथा उपबंधित न हो।

(3) वित्तीय प्रस्ताव पूर्णांक भारतीय रुपये (₹) में प्रस्तुत किया जाएगा।

6.5 प्रारम्भिक वित्तीय प्रस्ताव की गोपनीयता

(1) प्रारम्भिक वित्तीय प्रस्ताव केवल पैकेट–3 में उपलब्ध रहेगा।

(2) पैकेट–1 एवं पैकेट–2 के परीक्षण पूर्ण होने के पश्चात ही पात्र निविदादाताओं के वित्तीय प्रस्ताव खोले जाएंगे।

(3) वित्तीय प्रस्ताव खोले जाने के पश्चात पात्र निविदादाताओं के मध्य ई-नीलामी आयोजित की जाएगी।

6.6 डिजिटल हस्ताक्षर

वित्तीय निविदा का अंतिम प्रस्तुतिकरण अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के वैध **Digital Signature Certificate (DSC)** द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा।

6.7 अंतिम प्रस्तुतिकरण

(1) वित्तीय निविदा प्रस्तुत करने के पश्चात निविदादाता ई-निविदा पोर्टल पर उपलब्ध **Final Submission** प्रक्रिया पूर्ण करेगा।

आवेदक के हस्ताक्षर ....

(2) अंतिम प्रस्तुतिकरण के पश्चात उत्पन्न इलेक्ट्रॉनिक रसीद (Acknowledgement) अथवा Bid Reference Number सुरक्षित रखना निविदादाता की जिम्मेदारी होगी।

6.8 वित्तीय प्रस्ताव में संशोधन

(1) निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय तक, निविदादाता ई-निविदा पोर्टल पर यदि सुविधा उपलब्ध है, तो तदनुसार अपने वित्तीय प्रस्ताव में संशोधन अथवा पुनः प्रस्तुतिकरण कर सकेगा।

(2) निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात किसी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

6.9 प्रारम्भिक वित्तीय प्रस्ताव

(1) प्रारम्भिक वित्तीय प्रस्ताव स्पष्ट, अंतिम एवं बिना किसी शर्त के प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) कोई वैकल्पिक अथवा सशर्त वित्तीय प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं होगा।

(3) वित्तीय प्रस्ताव योजना में निर्धारित आरक्षित मूल्य (Reserve Price) से कम नहीं होगा।

(4) वित्तीय प्रस्तावों के खोले जाने के उपरांत प्राप्त उच्चतम वैध वित्तीय प्रस्ताव ई-नीलामी के लिए प्रारम्भिक बोली (Auction Start Price) का आधार होगा।

6.10 निविदादाता की घोषणा

पैकेट–3 में प्रारम्भिक वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत करके निविदादाता, प्रपत्र–B के अनुसार, यह घोषणा करेगा कि—

(क) प्रस्तुत प्रारम्भिक वित्तीय प्रस्ताव उसके द्वारा स्वतंत्र रूप से निर्धारित किया गया है तथा यह ई-नीलामी प्रारम्भ होने तक उसका वैध वित्तीय प्रस्ताव (Initial Financial Bid) होगा।

(ख) प्रस्तुत वित्तीय प्रस्ताव किसी अतिरिक्त शर्त, आरक्षण, प्रतिबंध अथवा संशोधन के अधीन नहीं है।

(ग) प्रस्तुत वित्तीय प्रस्ताव इस निविदा दस्तावेज, योजना विशेष विवरण तथा अन्य लागू नियमों एवं शर्तों के अधीन दिया गया है।

(घ) यदि वह तकनीकी परीक्षण में पात्र पाया जाता है, तो वह प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिनांक एवं समय पर आयोजित ई-नीलामी में भाग लेने के लिए सहमत है।

(ङ) ई-नीलामी में उसके द्वारा प्रस्तुत अंतिम वैध बोली (Final Valid Auction Bid) को उसका अंतिम एवं बाध्यकारी वित्तीय प्रस्ताव माना जाएगा तथा वह उससे विधिक रूप से आबद्ध रहेगा।

(च) वह यह स्वीकार करता है कि ई-नीलामी में भाग न लेने, ई-नीलामी के दौरान बोली न बढ़ाने अथवा अंतिम वैध बोली प्रस्तुत न करने की स्थिति में, उसके द्वारा पैकेट–3 में प्रस्तुत प्रारम्भिक वित्तीय प्रस्ताव के आधार पर अथवा इस निविदा दस्तावेज के अन्य प्रावधानों के अनुसार प्राधिकरण द्वारा की जाने वाली कार्यवाही उसे बाध्यकारी होगी।

उक्त घोषणा का प्रपत्र पैकेट–2 में अन्य पात्रता दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

6.11 स्पष्टीकरण

प्रारम्भिक वित्तीय प्रस्तावों का परीक्षण, तुलनात्मक विवरण, ई-नीलामी हेतु पात्रता, ई-नीलामी का संचालन, अंतिम वैध बोली (Final Valid Auction Bid), उच्चतम बोलीदाता का निर्धारण, समान अंतिम बोली, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति तथा अन्य विधिक परिणाम भाग–III के अनुसार विनियमित होंगे।

आवेदक के हस्ताक्षर ....

अध्याय – 7

निविदाओं का परीक्षण, ई-नीलामी एवं अंतिम बोली का निर्धारण

7.1 उद्देश्य

इस अध्याय का उद्देश्य निविदाओं के परीक्षण, प्रारम्भिक वित्तीय प्रस्तावों के खोलने, पात्र निविदादाताओं के मध्य आयोजित लाइव ई-नीलामी तथा अंतिम वैध बोली के निर्धारण की प्रक्रिया का विनियमन करना है।

7.2 निविदा खोलने की प्रक्रिया

(1) निर्धारित तिथि एवं समय पर प्राधिकरण द्वारा ई-निविदा पोर्टल के माध्यम से प्राप्त निविदाओं को खोला जाएगा।

(2) निविदाएँ उसी क्रम में खोली जाएँगी, जैसा इस निविदा दस्तावेज में निर्धारित है।

(3) निविदा खोलने की प्रक्रिया पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संपादित की जाएगी।

7.3 चरणबद्ध परीक्षण

निविदाओं का परीक्षण निम्नलिखित क्रम में किया जाएगा—

प्रथम चरण : पैकेट–1

द्वितीय चरण : पैकेट–2

तृतीय चरण : प्रारम्भिक वित्तीय प्रस्ताव (Packet–3)

चतुर्थ चरण : पात्र निविदादाताओं के मध्य लाइव ई-नीलामी

पंचम चरण : अंतिम वैध बोली (Final Valid Auction Bid) का निर्धारण

7.4 पैकेट–1 का परीक्षण

प्राधिकरण पैकेट–1 में प्रस्तुत—

- निविदा शुल्क (यदि लागू हो),
- Earnest Money Deposit (EMD),
- तथा अन्य प्रारंभिक दस्तावेजों

का परीक्षण करेगा। पैकेट–1 में निर्धारित आवश्यकताओं की पूर्ति न होने पर निविदा को अपात्र घोषित किया जा सकेगा।

7.5 पैकेट–2 का परीक्षण

पैकेट–2 में प्रस्तुत—

- पात्रता संबंधी दस्तावेज,
- निविदा-पत्र,
- घोषणाएँ,
- शपथ-पत्र,
- अधिकार-पत्र,
- आरक्षण संबंधी दस्तावेज (जहाँ लागू हो),
- तथा अन्य आवश्यक अभिलेख का परीक्षण किया जाएगा।

7.6 स्पष्टीकरण एवं अतिरिक्त जानकारी

(1) यदि किसी दस्तावेज के संबंध में तकनिकी मूल्यांकन के समय स्पष्टीकरण आवश्यक हो, तो प्राधिकरण निविदादाता से निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है।

(2) ऐसा स्पष्टीकरण केवल अभिलेखों की पुष्टि अथवा स्पष्टता तक सीमित होगा तथा इससे निविदा की मूल प्रकृति, बोली राशि अथवा प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में कोई परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा तथा उक्त स्पष्टिकरण से निविदाकर्ता का किसी भी प्रकार का अधिकार सृजन नहीं होगा।

7.7 प्रारम्भिक वित्तीय प्रस्ताव खोलना

(1) केवल पात्र निविदादाताओं के पैकेट–3 खोले जाएंगे।

(2) प्रारम्भिक वित्तीय प्रस्तावों के आधार पर उच्चतम प्रारम्भिक वित्तीय प्रस्ताव निर्धारित किया जाएगा।

(3) उक्त उच्चतम प्रस्ताव ई-नीलामी की प्रारम्भिक बोली (Auction Start Price) होगा।

7.8 प्रारम्भिक वित्तीय प्रस्ताव का परीक्षण एवं ई-नीलामी हेतु पात्रता

प्रारम्भिक वित्तीय प्रस्तावों का परीक्षण निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर किया जाएगा—

• निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुति;

• आरक्षित मूल्य (Reserve Price) अथवा अन्य निर्धारित न्यूनतम बोली की शर्तों का अनुपालन;

• बोली राशि की स्पष्टता एवं वैधता;

• आवश्यक शर्तों का अनुपालन;

• अन्य परीक्षण, यदि इस निविदा दस्तावेज में अपेक्षित हों।

प्रारम्भिक वित्तीय प्रस्तावों के परीक्षण के उपरांत, पात्र निविदादाताओं को ई-नीलामी में भाग लेने हेतु पात्र घोषित किया जाएगा।

7.9 प्रारम्भिक तुलनात्मक विवरण एवं ई-नीलामी हेतु आधार मूल्य (Comparative Statement & Auction Start Price)

(1) पात्र निविदादाताओं के प्रारम्भिक वित्तीय प्रस्ताव खोले जाने के पश्चात प्राधिकरण द्वारा तुलनात्मक विवरण (Comparative Statement) तैयार किया जाएगा।

(2) प्रारम्भिक वित्तीय प्रस्तावों में प्राप्त उच्चतम वैध वित्तीय प्रस्ताव (Highest Valid Initial Financial Bid) को ई-नीलामी के लिए Auction Start Price माना जाएगा।

(3) ई-नीलामी में भाग लेने के लिए केवल वे ही निविदादाता पात्र होंगे जिन्हें पैकेट–1 एवं पैकेट–2 के परीक्षण में पात्र घोषित किया गया हो।

(4) ई-नीलामी MP e-Tender Portal पर निर्धारित दिनांक एवं समय पर पोर्टल की कार्यप्रणाली तथा इस निविदा दस्तावेज के प्रावधानों के अनुसार आयोजित की जाएगी।

(5) ई-नीलामी समाप्ति पर प्राप्त अंतिम वैध बोली (Final Valid Auction Bid) को अंतिम वित्तीय प्रस्ताव माना जाएगा तथा उसी के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी।

7.10 परीक्षण के दौरान अधिकार

निविदाओं एवं ई-नीलामी प्रक्रिया के परीक्षण के दौरान प्राधिकरण, आवश्यक होने पर—

• अभिलेखों का सत्यापन;
• मूल दस्तावेजों का अवलोकन;
• सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण-पत्रों का सत्यापन;
• ई-नीलामी से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों (Electronic Logs), पोर्टल अभिलेखों एवं सिस्टम जनित विवरणों का परीक्षण;
• तथा अन्य आवश्यक जांच

करने का अधिकार रखेगा।

7.11 परीक्षण का परिणाम

निविदाओं एवं ई-नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत प्राधिकरण—

• पात्र एवं अपात्र निविदादाताओं का अंतिम निर्धारण करेगा;
• ई-नीलामी में प्राप्त अंतिम वैध बोली (Final Valid Auction Bid) का परीक्षण करेगा;
• सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति हेतु प्रकरण प्रस्तुत करेगा;
• तथा आगे की कार्यवाही इस निविदा दस्तावेज के प्रावधानों के अनुसार करेगा।

7.12 स्पष्टीकरण

प्रारम्भिक वित्तीय प्रस्तावों का परीक्षण, ई-नीलामी का संचालन, अंतिम वैध बोली (Final Valid Auction Bid) का निर्धारण, समान अंतिम बोली (Tie Bid), सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति, आरक्षण पत्र, भुगतान, आवंटन, अनुबंध, EMD की वापसी अथवा जप्ती तथा अन्य विधिक परिणाम भाग–III (ई-नीलामी एवं आवंटन की सामान्य शर्तें) के प्रावधानों के अनुसार विनियमित होंगे।

7.13 परीक्षण समिति / सक्षम अधिकारी द्वारा परीक्षण

(1) निविदाओं, प्रारम्भिक वित्तीय प्रस्तावों तथा ई-नीलामी के परिणाम का परीक्षण प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर गठित निविदा परीक्षण समिति (Tender Evaluation Committee) अथवा इस प्रयोजन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी/अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

(2) परीक्षण समिति अथवा अधिकृत अधिकारी निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार दस्तावेजों का परीक्षण, अभिलेखों का सत्यापन, आवश्यक होने पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा ई-नीलामी के परिणाम का परीक्षण करेंगे।

(3) परीक्षण समिति द्वारा की गई संस्तुति अंतिम निर्णय नहीं मानी जाएगी तथा अंतिम निर्णय इस निविदा दस्तावेज, प्रचलित अधिनियम, नियमों एवं सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसार लिया जाएगा.

7.14 निविदा खोलने, ई-नीलामी एवं परीक्षण का प्रभाव

(1) किसी निविदा का खोला जाना, परीक्षण किया जाना, किसी आगामी पैकेट का खोला जाना अथवा किसी व्यक्ति को ई-नीलामी में भाग लेने हेतु पात्र घोषित किया जाना, उसके पक्ष में किसी प्रकार का अधिकार, दावा अथवा वैधानिक अपेक्षा (Legal Right or Legitimate Expectation) उत्पन्न नहीं करेगा।

(2) किसी निविदादाता की प्रारम्भिक वित्तीय निविदा का खोला जाना, ई-नीलामी में भाग लेना अथवा ई-नीलामी में अंतिम वैध उच्चतम बोलीदाता (Highest Valid Auction Bidder) होना मात्र से उसे संबंधित सम्पत्ति के आवंटन का कोई वैधानिक अथवा संविदात्मक अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

(3) सम्पत्ति का आवंटन तभी प्रभावी माना जाएगा जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम वैध बोली स्वीकार कर नियमानुसार आरक्षण पत्र जारी किया जाए तथा उसके पश्चात निर्धारित शर्तों की पूर्ति होने पर आवंटन आदेश जारी किया जाए।

(4) प्राधिकरण को इस निविदा दस्तावेज, प्रचलित अधिनियम, नियमों तथा सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार किसी भी स्तर पर आवश्यक कार्यवाही करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

आवेदक के हस्ताक्षर ....